

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 18/214-2018 PGT-III (2) DATED, PANCHKULA 11.07.2018

Smt. Anjana Bhatia, PGT English, Govt. Girls High School, Ujhana (Jind) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **09.07.2018 to 09.01.2019 (185 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 11/7/18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Jind w.r.t. his/her memo No. E-2/2017/804 dated 03.07.2018.
2. Principal/Headmaster, Govt. Girls High School, Ujhana (Jind).
3. Smt. Anjana Bhatia, PGT English, Govt. Girls High School, Ujhana (Jind).
4. IT Cell for uploading the orders on website.

Amer Singh 11/7/18
**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 13/80 -2017 PGT-II (6)

Dated, Panchkula, the 11.07.2018

In compliance of the Hon'ble High Court Order dated 19.04.2017 in CWP No. 7780 of 2017 titled as Rekha Sharma Vs State of Haryana and others, Smt. Rekha Sharma [207446], PGT Hindi, Govt. Sr. Sec. School, Khanda [1554] (Jind) is hereby transferred to Govt. Girls Sr. Sec. School, Rohtak [2673] (Rohtak) against vacant post with immediate effect.

RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, The 12-7-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Jind and Rohtak.
2. Head of the institutions concerned.
3. Officials concerned. You are hereby directed to get approved your service profile from DDO so that your orders can be updated on MIS Portal.
4. Assistant-6 for update order on MIS Portal.
5. IT Cell (Local) for uploading the orders on department's website.

[Handwritten Signature]
Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula
[Handwritten Initials]

D:\Gautam Sir\Office order\English Office order.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/299-2018 PGT-II (7) DATED, PANCHKULA 06.07.2018

Smt. Beena Khanna, PGT Economics, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, G.T. Road (Panipat) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **23.07.2018 to 20.10.2018 (90 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 6-7-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Panipat** w.r.t. his/her office memo. No. E-1/18/3438 dated 18.06.2018.
2. Principal, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, G.T. Road (Panipat).
3. Smt. Beena Khanna, PGT Economics, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, G.T. Road (Panipat).
- ✓ 4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

6/7/2018
**SUPERINTENDENT PGT-II
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

ORDER

Order No. 16/84-2014 HRL (4) Dated Panchkula the 04.07.2018

The period when Sh. Dinesh Kumar [046131], PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Datour (Rohtak) now Govt. Sr. Sec. School, Karontha (Rohtak) remained under police custody from 30.05.2007 to 06.06.2007 (8 days) is hereby treated as leave of kind due for all intents and purposes as provided in Sub Rule 2 and Sub Rule 4 of Rule 7.3 of C.S.R. Volume I Part I.

**Dheera Khandelwal
Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana
School Education Department,
Panchkula**


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula the, 12-07-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Rohtak.
3. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Datour (Rohtak).
4. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Karontha (Rohtak).
5. Sh. Dinesh Kumar [046131], PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Karontha (Rohtak).
- ✓ 6. IT Cell (Local).


**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**
r

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/302-2018 PGT-II (5) DATED, PANCHKULA 10.07.2018



Smt. Sudesh, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Singhpura (Rohtak) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **10.07.2018 to 05.01.2019 (180 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN DATED, PANCHKULA THE 12-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Rohtak** w.r.t. his/her office memo. No. A-4-18/451 dated 11.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Singhpura (Rohtak).
3. Smt. Sudesh, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Singhpura (Rohtak).
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.


**SUPERINTENDENT PGT-II
For DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 20/92-2017 PGT-II (5)

DATED, PANCHKULA 21.06.2018

Consequent upon the request of **Smt. Neeru, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6 (Panchkula)** with regard to cancel her child care leave from 31.05.2018 to 23.11.2018 which has already been sanctioned for the period from 17.07.2017 to 23.11.2018 vide order No. 20/92-2017 PGT-II (5) dated 11.07.2017.

Now, it has been decided that child care leave of **Smt. Neeru, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6 (Panchkula)** be cancelled for the period from 31.05.2018 to 23.11.2018 (177 Days).


**RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 11-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panchkula.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6 (Panchkula).
3. Smt. Neeru, PGT Home Science, Govt. Sr. Sec. School, Sector-6 (Panchkula).
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.


**Superintendent PGT-II
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate of Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 (School Education, Haryana)
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 नमस्तु या ज्ञानमयम्
 Lead me from Darkness to Light

Off. Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला, हरियाणा 134109 (भारत) टेल: 91(0172) 2560246 फैक्स: 91(0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 23/180-2018 HRME (2) Dated, Panchkula, the 10.07.2018

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department instructions No. 1/20/16 (ACP)-5PR(FD) dated 28.10.2016 under Rule 7(2) of Haryana Civil Services (ACP) Rules 2016 Sh. Bijender Kumar, Clerk, O/o DEEO, Jhajjar is hereby granted 2nd ACP, ACPL-6 w.e.f. 01.06.2018 on completion of 16 years regular satisfactory service.


RAJIV PRASHAD
 JOINT DIRECTOR ADMN
 C/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 11.7.18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The DEEO, Jhajjar w.r.t. their letter No. A-1-2018/559 dated 04.06.2018. The service book and personal file of the official is returned herewith.
2. Sh. Bijender Kumar, Clerk, O/o DEEO, Jhajjar.
3. IT Cell.


 SUPERINTENDENT HRME-II
 for DIRECTOR SCHOOL EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA



2002/9T Cell
12/07/18

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 18/215-2018 PGT-III (9) DATED, PANCHKULA 11.07.2018

Smt. Kamini Rathi, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **11.07.2018 to 02.10.2018 (84 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Gurugram w.r.t. his/her memo No. E-2/2018/771 dated 29.06.2018.
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram).
3. Smt. Kamini Rathi, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram).
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.

Amar Singh 12/7/18
**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/162-2018 PGT-I (5) Dated, Panchkula, the 11.07.2018

Dr. Kavita Hooda, PGT Geography, Govt. Sr. Sec. School, Anwali (Sonipat) is hereby granted child care leave **w.e.f. 16.07.2018 to 15.08.2018 (One months only)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**Rajiv Prashad
Joint Director Administration
O/o Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

ENDST. No. Even

DATED, PANCHKULA, THE 12-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonipat w.r.t. his letter No. E-6/2018/682-83 dated 27.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Anwali (Sonipat).
3. Dr. Kavita Hooda, PGT Geography, Govt. Sr. Sec. School, Anwali (Sonipat).
4. I.T Cell (Local).


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

1997/9T Cell
12/07/18

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/139-2018 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 11.07.2018

Smt. Anju Dabas, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School, Titoli, (Rohtak) is hereby granted child care leave w.e.f. 18.07.2018 to 17.09.2018 (2 Months) subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**Rajiv Prashad
Joint Director Administration
Secondary Education Department,
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 11-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rohtak w.r.t. their letter No. A-4-18/446 dated 11.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Titoli, (Rohtak).
3. Smt. Anju Dabas, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School, Titoli, (Rohtak).
4. I.T. Cell.


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

1998/9T Cell
12/07/18

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/117-2018 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 09.07.2018

Smt. Sweta Rohilla, PGT Maths Govt. Sr. Sec. School, Rohad, (Jhajjar) is hereby granted child care leave w.e.f. 09.07.2018 to 30.09.2018 (89 Days) subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


**Rajiv Prashad
Joint Director Administration
Secondary Education Department,
Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated Panchkula, the 11-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Jhajjar w.r.t. their letter No. E-2/2018/378 dated 06.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Rohad, (Jhajjar).
3. Smt. Sweta Rohilla, PGT Maths Govt. Sr. Sec. School, Rohad, (Jhajjar)
4. I.T. Cell.


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

1999/9T CEM
12/07/18

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/90-2018 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 12.07.2018



Smt. Madhu Chaudhary, PGT Physics, Govt. Sr. Sec. School, Gujrani (Bhiwani) is hereby granted child care leave **w.e.f. 12.07.2018 to 11.05.2019 (ten months only)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**Rajiv Rattan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

ENDST. No. Even DATED, PANCHKULA, THE 12-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Bhiwani w.r.t. memo No. E-1/18/43 dated 14.05.2018.
2. Headmaster/Principal, Govt. Sr. Sec. School, Gujrani (Bhiwani).
3. Smt. Madhu Chaudhary, PGT Physics, Govt. Sr. Sec. School, Gujrani (Bhiwani).
- ✓ 4. I.T Cell (Local).


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**


2000/JT Cell
12/07/18

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 20/133-2018 PGT-I (1) Dated, Panchkula, the 11.07.2018

Smt. Seema Rani, PGT Chemistry, Govt. Girls Sr. Sec. School, Gangwa (Hisar) is hereby granted child care leave **w.e.f. 16.07.2018 to 15.08.2018 (one month only)** subject to fulfillment of the provisions of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**Rajiv Prashad
Joint Director Administration
O/o Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**


ENDST. No. Even

DATED, PANCHKULA, THE

11/7/2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Hisar w.r.t. memo No. E-VI/18/1624 dated 31.05.2018.
2. Headmaster/Principal, Govt. Sr. Sec. School, Gangwa (Hisar).
3. Smt. Seema Rani, PGT Chemistry, Govt. Girls Sr. Sec. School, Gangwa (Hisar).
- ✓ 4. I.T Cell (Local).


**Superintendent PGT-I
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**

2001/DT Cell
12/07/18

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ORDER**

No. 18/263-18 PGT-I (6)

DATED, PANCHKULA THE 06.07.2018

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014, Sh. Bharat Bhushan, PGT Hindi now Principal, Govt. Sr. Sec. School, Safidon (Jind) is hereby granted 3rd ACP in the grade pay of Rs. 9300-34800+6400/-GP w.e.f. 01.11.2015 after completion of 24 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion.

**RAJIV RATTAN
SPECIAL SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
HARYANA, PANCHKULA**


**OFFICE OF THE DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. 18/263-18 PGT-I (6) Dated, Panchkula The 11-07-2018

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Jind his/her w.r.t. Memo No. E-1/2018/118 dated 16.03.2018 alongwith service book and ~~personal file~~ of Sh. Bharat Bhushan.
3. Principal/Headmaster Govt. Sr. Sec. School, Safidon (Jind).
4. Treasury Officer concerned.
5. Sh. Bharat Bhushan, PGT Hindi now Principal, Govt. Sr. Sec. School, Safidon (Jind).
- ✓ 6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.


**Superintendent PGT-I
For Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



**HARYANA GOVERNMENT
EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**



ORDER

Order No. 6/83-2013 HRG-II(1)

Dated Panchkula, the 26.06.2018

The following PGTs were promoted to the post of Headmasters vide this office order No. 6/83-2013-HRG-II (1) dated 06.10.2017 and were given posting as Headmasters as mentioned against their names.

Now, they have requested vide their representations to revert them from the post of Headmaster to their original post i.e. PGT accordingly, their services are placed at their previous places of posting as PGT mentioned against their names. Their cases will be considered for further promotion again after at least one year on their written request only and they will not be entitled for any benefits specially pay fixation and seniority etc:-

S. No	Name designation and place of posting as PGT	Allotted place of posting as Headmaster	Promoted as Headmaster	Reasons/Remarks
1.	[021675] Sh. Punjab Singh, Lecturer in Pol. Sci. GSSS Ritoli, Jind.	GHS Badhana [1677] Rural Alewa, Jind.	Headmaster	Due to not willing of promotion for HM
2.	[052855] Sh. Karam Chand, Lect. Commerce, GMSSSS, Sirsa	GHS Jalalana [2860] Rural Odhan Sirsa.	Headmaster	Due to not willing of promotion for HM
3.	[002699] Sh. Maharaj Sharma/ Lect. History GSSS Nangal, Y/Nagar.	GHS Ledi [225] Rural Chhachhrauli, Y/nagar	Headmaster	Due to not willing of promotion for HM
4.	[046324] Smt. Nirmala Sharma/ Lect Pol Sci. GSSS Dipal Pur now GSSS 20th Mile, Sonipat.	GHS Sikandarpur Majra [3588] Block Gohana, Sonapat	Headmaster	Due to Domestic reason
5.	[011219] Smt.Santosh Kumari, Lecturer in Economics, GSSS Bhangrola Gurgaon.	--	--	Due to not willing of promotion for HM
6.	[021632] Sh. Satpal Dhanda/ Lect. Pol Sci. GSSS Jind.	--	--	Due to not willing of promotion for HM
7.	[046188] Sh. Pale Ram/ Lect. Pol Sci. GSSS Bajana Khurd now GGSSS Shamri, Sonipat.	--	--	Due to not willing of promotion for HM

**DHEERA KHANDELWAL
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA,
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT,
CHANDIGARH**

Endst No. Even

Dated: Panchkula, the 11-7-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

REGD.

1. District Education Officer Concerned. They are directed to withdraw the benefit of ACP, if any granted to them.
2. Principals Concerned/Head of institution.
3. Officials Concerned.
- ✓ 4. IT Cell (Local).

Ranbir Singh
16/7/18
**SUPERINTENDENT HRG-II
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
नमस्ते मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME NO. AND DATE

ORDER NO. 4/117-2018 HRME (4)

DATED, PANCHKULA: 10-7-2018

The following official is hereby transfer/adjusted with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1	Smt. Neelam Kumari, Employee ID 100938	GMS Nepewala [4769] Jind	O/o DEO Jind [4115] Jind	Adjustment against the vacant post of Clerk

Note :-

1. The official will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. In case of mutual transfer, it is directed that before relieving/joining the officials concerned, it may be ensured that the distance between both the schools is not less than 8 km.
5. The mutual transfer would be effective only when both the employees seeking mutual transfer submit a consent document to their respective Principals.
6. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
7. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
8. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

RAJIV RATTAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 13/117-2017 HRME (4)

DATED PANCHKULA,

11-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer concerned
2. Head of the institution concerned.
3. Official concerned.
4. Secy. OSD/CM.
5. Sr. PS/E.M.
6. Sr. PS/ACSSE.
7. PS/DSE.
8. IT Cell.
9. Data Entry Operator (HRME Branch) he is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

आदेश क्रमांक 13/254-2013 एच0आर0एम0ई0 (5)


दिनांक पंचकूला :- 06/07/18

श्री कुलदेव सिंह, उप अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को निदेशालय के यादी क्रमांक 13/254 2013 एच0आर0एम0ई0 (5) दिनांक 16.11.2016 द्वारा हरियाणा रिजर्वेल राफ (खण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 8 में निम्न आरंभों में आरंभित किया गया था:

श्री ओम प्रकाश की प्रथम नियुक्ति वाटर कैरियर के पद पर दिनांक 14.02.1995 को रा0उ0वि0 फग्गू, सिरसा में हुई थी तथा उसकी सेवाएं दिनांक 14.02.1996 को नियमित हुई थी। इसके पश्चात दिनांक 03.07.1998 को उसका स्थानांतरण रा0उ0वि0 फग्गू, सिरसा से खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा में तथा दिनांक 18.03.1998 को उसका स्थानांतरण खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा से खण्ड शिक्षा अधिकारी, डबवाली में हुआ था तथा कर्मचारी ने दिनांक 18.03.2008 को खण्ड शिक्षा अधिकारी, डबवाली के कार्यालय में कार्यग्रहण किया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संस्थागत कांडर होने के कारण स्थानांतरण की अवस्था में उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है। अतः उक्त कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति बतौर तबादला दिनांक 18.03.2008 बनती है। रिकार्ड अनुसार पदोन्नति के समय cut off date reserve category की दिनांक 31.12.1998 तथा सामान्य वर्ग की 31.12.1995 थी। इस प्रकार श्री ओम प्रकाश पदोन्नति का पात्र नहीं बनता था, परंतु श्री पाला राम, लिपिक ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही श्री ओम प्रकाश, वाटर कैरियर का नाम पदोन्नति हेतु निदेशालय भिजवाया, जबकि रिकार्ड अनुसार कर्मचारी इस पदोन्नति का पात्र नहीं बनता था।

कर्मचारी श्री कुलदेव सिंह, उप अधीक्षक ने वार्जशीट का जवाब दिनांक 10.12.2016 को जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा के पत्र के माध्यम से भेजा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी को आरोप मुक्त करने बारे सिफारिश की गई। इसके उपरांत कर्मचारी श्री कुलदेव सिंह का दिनांक 08.11.2017 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई पर कर्मचारी द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कर्मचारी द्वारा पुनः अपने उत्तर को दोहराया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा द्वारा दी गई टिप्पणी व कर्मचारी को निजी सुनवाई पर सुनने उपरांत, मैं, सक्षम अधिकारी होने के नाते कर्मचारी को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देता हूं कि और इन आदेशों की एक कॉपी उसकी निजी गिराल में संलग्न की जाये।


(राजेश प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

रजि0

सेवा में

श्री कुलदेव सिंह, उप-अधीक्षक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।


पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकूला

11/7/18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
2. आई0टी0 सैल।



अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-1।
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

आदेश क्रमांक 13/254-2013 एच0आर0एम0ई0 (5)


दिनांक पंचकूला :- 06/07/18

श्री पाला राम, लिपिक, रा0क0व0गा0वि0, गौरीवाला, सिरसा को निदेशालय के पत्र क्रमांक 13/254-2013 एच0आर0एम0ई0 (5) दिनांक 16.11.2016 द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 8 में निम्न आरोपों में आरोपित किया गया था:

श्री ओम प्रकाश की प्रथम नियुक्ति वाटर कैरियर के पद पर दिनांक 14.02.1995 को रा0उ0वि0 फग्गू सिरसा में हुई थी तथा उसकी सेवाएं दिनांक 14.02.1996 को नियमित हुई थी। इसके पश्चात दिनांक 03.07.1998 को उसका स्थानांतरण रा0उ0वि0 फग्गू सिरसा से खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा में तथा दिनांक 18.03.1998 को उसका स्थानांतरण खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिरसा से खण्ड शिक्षा अधिकारी, डबवाली में हुआ था तथा कर्मचारी ने दिनांक 18.03.2008 को खण्ड शिक्षा अधिकारी, डबवाली के कार्यालय में कार्यग्रहण किया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संस्थागत कांडर होने के कारण स्थानांतरण की अवस्था में उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाती है। अतः उक्त कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति बतौर तबादला दिनांक 18.03.2008 बनती है। रिकार्ड अनुसार पदोन्नति के समय cut of date reserve category की दिनांक 31.12.1998 तथा सामान्य वर्ग की 31.12.1995 थी। इस प्रकार श्री ओम प्रकाश पदोन्नति का पात्र नहीं बनता था, परंतु श्री पाला राम, लिपिक ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही श्री ओम प्रकाश, वाटर कैरियर का नाम पदोन्नति हेतु निदेशालय भिजवाया, जबकि रिकार्ड अनुसार कर्मचारी इस पदोन्नति का पात्र नहीं बनता था।

कर्मचारी श्री पाला राम, लिपिक ने वार्जशीट का जवाब दिनांक 19.12.2016 को जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा के पत्र के माध्यम से भेजा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी को आरोप मुक्त करने बारे सिफारिश की गई। इसके उपरांत कर्मचारी का दिनांक 05.09.2017 को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई पर कर्मचारी द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। कर्मचारी द्वारा पुनः अपने उत्तर को दोहराया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा द्वारा दी गई टिप्पणी व कर्मचारी को निजी सुनवाई पर सुनने उपरांत, मैं, सक्षम अधिकारी होने के नाते कर्मचारी का भविष्य में सख्त सजा की वेतावनी देता हूँ कि और इन आदेशों की एक कॉपी उसकी निजी गिराव में सलम की जाय।


(राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

राजि0

सेवा में

श्री पाला राम, लिपिक, रा0क0व0गा0वि0, गौरीवाला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकूला 11/7/18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एच0आर0एम0ई0 का संकेत प्रेषित है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।
2. मुख्यध्यापक, रा0क0व0गा0वि0, गौरीवाला।
3. आई0टी0 सैल।



अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-11
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate of Secondary Education
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 (School Education, Haryana)
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 नमरा मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला 134109 (भारत) दूरभाष: 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
 सोनीपत।

यादी क्रमांक 4/78-2018 एच0आर0एम0ई0 (5)
 दिनांक, पंचकुला :- 11/7/18

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्थानांतरण के आधार पर नई नियुक्ति देने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नई नियुक्ति स्थानांतरण आधार पर निम्नानुसार रिक्ति के विरुद्ध की जाती है। अन्य नियम व शर्तें कर्मचारी के प्रथम नियुक्ति पत्र के अनुसार ही रहेंगी तथा कर्मचारी की वरिष्ठता वर्तमान आदेश के अनुसार मानी जाएगी:-

Sr. No.	Name & present posting Place	After Transfer new place of posting
1.	[047661] Jitender Kumar Class IV GSSS Garh Mirakpur (Sonipat) [3667]	[3659] GGMS Asadpur Nandnaur (SNP)

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-11
 कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकुला

इसकी एक प्रती निम्नलिखित को सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित हैडमास्टर/प्राचार्य। इस आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में करें।
- आई0टी0सैल को भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेश ई-नटवैट पर डलवाएं।
- सम्बन्धित कर्मचारी।
- सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों का इन्द्राज निदेशालय द्वारा संचालित MIS Portal पर तुरंत अपडेट करें तथा इसका इन्द्राज वरिष्ठता छोड़ने बारे सेवापंजी में करें।
- कर्मचारी को उक्त स्थानांतरण की एवज में किसी प्रकार का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि कर्मचारी को आगे कार्यग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो कर्मचारी अपने पूर्व के स्थान पर तुरंत कार्यग्रहण करेगा तथा इसका इन्द्राज अपने आहरण वितरण अधिकारी से MIS Portal पर अपडेट करवाएगा।
- कर्मचारी द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कर्मचारी अपनी पूर्व की वरिष्ठता की मांग नहीं करेगा/करेगी।
- Data Entry Operator (concernd branch).

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-11
 कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।



Regd.

From

The Director Secondary Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

Smt. Saroj Bala, PGT Political Science,
Govt. Sr. Sec. School, Mandi Dabwali (Sirsa).

Memo No. 16/266-2015 PGT-III (1)
Dated Panchkula, the

Subject:- Personal Hearing in chargesheet under Rule-8 of Smt. Saroj Bala, PGT Political Science, GSSS Kalanwali (Sirsa) now posted at GSSS Mandi Dabwali (Sirsa).

Reference on the subject cited above.

The date of personal hearing has been fixed for **26.07.2018** at **03:00 P.M** in the office of Director, Secondary Education, Haryana, Panchkula, Shiksha Sadan, 2nd Floor, Sector-5, Panchkula.

You are requested to appear for personal hearing before the Director, Secondary Education, Haryana, Panchkula, Shiksha Sadan, 2nd Floor, Sector-5, Panchkula on above said date and time alongwith relevant documents.

Sd/-
Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education
Haryana Panchkula

Endst. No.: Even

Dated, Panchkula, the 11-7-2018

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. PA/Director, Secondary Education, Haryana, Panchkula.
2. The District Education Officer, Sirsa. It is requested to intimate about the said date and time of hearing to Smt. Saroj Bala, PGT Political Science, GSSS Kalanwali (Sirsa) now posted at GSSS Mandi Dabwali (Sirsa).
3. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Mandi Dabwali (Sirsa). He may ensure that date and time of the hearing be communicated to the concerned.
- ✓ 4. I.T Cell (H.Q) for uploading the same on official website.

Amar Singh 11/7/18
Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA
PANCHKULA**

Order No. 18/139-2018 PGT-III (9)

Dated Panchkula, the 12.07.2018

Smt. Saroj, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Sampla, Rohtak is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **12.07.2018 to 10.09.2018 (Two months)** as per Finance Department Instructions No. 11/102/ 2009-3FR dated 05.02.2010, 05.11.2012 and letter No.11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

12/7/18


A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rohtak w.r.t. their letter No. E-4/2018/396 dated 05.06.2018.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Sampla, Rohtak.
3. Smt. Saroj, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Sampla, Rohtak.
4. I.T Cell, H.Q for uploading the orders on the website.

Amar Singh 12/7/18
**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आदेश क्रमांक KW 4/73-2017 HRME(4)/3217

दिनांक, पंचकुला :- 10-7-2018

1. इसके द्वारा श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक, डाईट मदीना, रोहतक (under transfer) ख0शि0अ0 पेहवा, कुरुक्षेत्र को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्री अशोक कुमार, लिपिक से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री अशोक कुमार, लिपिक को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री अशोक कुमार, लिपिक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री अशोक कुमार, लिपिक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

REGD.

श्री अशोक कुमार, लिपिक, डाईट मदीना, रोहतक (under transfer)
 ख0शि0अ0 पेहवा, कुरुक्षेत्र

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:- 11-7-18

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-


1. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक / कुरुक्षेत्र।
2. आई0टी0 सैल।

[Signature]

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
 कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
 पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आरोप सूची विरुद्ध श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक, डाईट मदीना, रोहतक (under transfer) ख0शि0अ0 पेहवा, कुरुक्षेत्र

श्री अशोक कुमार, लिपिक ने डाईट मदीना, रोहतक में बतौर लिपिक कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-


1. यह है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 4/73-2017 एच.आर.एम.ई(4) दिनांक 18.5.2017 के अनुसार श्री अशोक कुमार, लिपिक को डाईट मदीना, रोहतक से ख0शि0अ0, पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया था परन्तु उन द्वारा आदेशों की पालना न करते हुए ख0शि0अ0 पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं किया गया।
2. इस प्रकार उन्होंने विभागीय आदेशों की उल्लंघना करते हुए कदाचार किया है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (आचरण नियमावली, 2016) की धारा 4 की उल्लंघना की है तथा उसने अपने आपको हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बनाया है।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



अभियोग सूची विरुद्ध श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक, डाईट मदीना, रोहतक (under transfer) ख0शि0अ0 पेहवा, कुरुक्षेत्र।

श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक ने डाईट मदीना, रोहतक में बतौर लिपिक कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-

1. यह है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 4/73-2017 एच.आर.एम.ई(4) दिनांक 18.5.2017 के अनुसार श्री अशोक कुमार, लिपिक को डाईट मदीना, रोहतक से ख0शि0अ0 पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया था। परन्तु उन द्वारा जारी आदेशों की पालना न करते हुए ख0शि0अ0 पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं किया। जबकि प्राचार्या डाईट मदीना, रोहतक द्वारा उनको दिनांक 18.5.2017 को जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों की पालना में दिनांक 20.5.2017 को कार्यभार मुक्त कर दिया था।
2. यह कि उन द्वारा दिनांक 20.5.2017 को डाईट, मदीना, रोहतक से कार्यभार मुक्त होने उपरान्त भी ख0शि0अ0 पेहवा जिला कुरुक्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं किया जो कि उनके कदाचार को दर्शाती है। ऐसा करके उन्होंने विभागीय आदेशों की उल्लंघना की है।

इस प्रकार श्री अशोक कुमार, लिपिक ने उपरोक्त अनियमितताएं करते हुए हरियाणा कर्मचारी (आचरण नियमावली), 2016 के नियम, 4 (1) (ii) तथा (iii) की उल्लंघना की है।


उपरोक्त अनियमितताएं श्री अशोक कुमार, लिपिक, डाईट मदीना, रोहतक (under transfer) ख0शि0अ0 पेहवा, कुरुक्षेत्र के कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बनाया है।

Rajiv Prasad
 (राजीव प्रसाद)

सयुक्त निदेशक प्रशासन
 का0 निदेशक सिकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in



रिकार्ड की सूची

1. निदेशालय के आदेश क्रमांक 4/73-2017 एच.आर.एम.ई(4) दिनांक 18.5.2017 की प्रति।
2. प्राचार्य डाईट, मदीना, जिला रोहतक द्वारा जारी किये गये कार्यभार मुक्त आदेश दिनांक 6.12.2017 की प्रति।

गवाहों की सूची।

1. संबंधित सहायक डाईट, मदीना, जिला रोहतक।
2. ख0शि0अ0, पेहवा, कुरुक्षेत्र।

Rajiv Prasad
(राजीव प्रसाद)

सयुक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं वियोगस
 Education, Culture and Development
 EDUCATION DEPARTMENT
 शिक्षा विभाग, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 5/69-2018 HRME(5)

दिनांक, पंचकुला :- 06/07/18

- इसके द्वारा श्री अजीत सिंह, लिपिक ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह [6842] को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- इसके द्वारा श्री अजीत सिंह, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
- इसके द्वारा श्री अजीत सिंह, को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो वह निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों का दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री अजीत सिंह, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री अजीत सिंह, लिपिक, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनको लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिये।
- संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

REGD.

श्री अजीत सिंह, लिपिक

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह [6842]

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह ।
- 2- जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह ।
- 3- I.T Cell

दिनांक, पंचकुला:- 11/7/18

(अधीक्षक एच0आर0एम0ई0)


अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
 कृते:निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

आरोप सूची नियम-7 विरुद्ध- श्री अजीत सिंह, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह मेवात।

श्री अजीत सिंह, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर में लिपिक के पद पर कार्यरत रहते हुये निम्नलिखित अनियमितताएं की:-

1. यह कि श्री अजीत सिंह, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह मेवात ने कार्यालय झज्जर में वर्ष 2015 में कार्य करते हुए CWP No. 10285 of 2017 Shamsher Singh V/s State of Haryana के मामले में लापरवाही बरती है। श्री अजीत सिंह, लिपिक द्वारा श्री शमशेर सिंह, जे0बी0टी0, (1009806) रा0प्रा0पा0, राजपुर (12075)से निदेशालय हेतू Inter District application form भेजा गया। Inter District application form निदेशालय को नहीं भेजा गया जबकि उक्त form जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय झज्जर को दिनांक 04.09.15 को प्राप्त हो गया था। कार्यालय के लिपिक पर रिकार्ड की जिम्मेदारी होती है और वह महत्त्वपूर्ण दरतावेज समय पर न भेजना उसकी लापरवाही को दर्शाया है तथा माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना उसकी कोताही को दर्शाया है।

इस प्रकार श्री अजीत सिंह, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह द्वारा अपने कार्य की अनदेखी और घोर लापरवाही, उसकी कोताही को दर्शाती है तथा ऐसा करके कर्मचारी ने Haryana (Government Employee's Conduct) Rules, 2016 के नियम 4(i), (ii) तथा (iii) की उल्लंघना करके उसने हरियाणा सिविल सर्विस (दण्ड एवम अपील) नियम, 2016 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(राजीव प्रसाद)
संयुक्त निदेशक प्रशासन
कार्यालय, निदेशक सैक्रेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला ।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 22/114-2017 HRME(2)

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री पवन कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर [9610] अब सचिवालय को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के अधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016 के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
2. इसके द्वारा श्री पवन कुमार, लिपिक, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री पवन कुमार, लिपिक, को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो वह निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री पवन कुमार, लिपिक, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री पवन कुमार, लिपिक, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिये।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

REGD.

श्री पवन कुमार, लिपिक,
जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर [9610] अब सचिवालय।

पृष्ठांकन क्रमांक सम
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

दिनांक, पंचकुला:- 11.7.18

1- जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को भेजकर लिखा जाता है कि कर्मचारी को सर्व करवाकर पावती निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

2- I.T Cell

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-11

कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail edusecondary@hry.nic.in


शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 EDUCATION DEPARTMENT
 शिक्षा विभाग, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 From Darkness lead me to Light

आरोप सूची विरुद्ध श्री पवन कुमार, लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर अब सचिवालय ।

श्री पवन कुमार, लिपिक का० जि०शि०अधि० यमुनानगर ने जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर में कार्यरत रहते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं :-

1. यह कि निदेशालय द्वारा जिला यमुनानगर को माडल संस्कृति/माडल स्कूल स्थापित करने हेतु संबंधित स्कूलों को जो राशि वितरित की गई थी, उस राशि का आडिट उपरांत सही प्रयोग न होने कारण पैरे बनाए गए तथा पैरों का निपटान करने हेतु विभाग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार दिनांक 11.05.2017 को जांच की गई जिसमें पाया गया कि जिला यमुनानगर पर लगाए गए एतराज कि 0.12 करोड रू० की सारी राशि स्टेडियम के निर्माण में खर्च करने की बजाए खेलकूद सामग्री के क्य पर खर्च कर दी जो कि स्वीकृति आदेशों के विरुद्ध था, बारे जि०शि०अधि० य०नगर द्वारा उपलब्ध कराए रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त जि०उपायुक्त यमुनानगर द्वारा राजकीय माडल संस्कृति वरि०मा०वि० बिलासपुर का निरीक्षण किया गया जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा की गई मांग अनुसार विद्यालय की जरूरत के अनुसार 15,56,745/-रू० की राशि का सामान तत्कालीन जि०शि०अधि० द्वारा रा०माडल संस्कृति वरि० मा० वि० बिलासपुर को उपलब्ध करवाया गया । यद्यपि राशि का उपयोग अन्य मद में अतिरिक्त जिला उपायुक्त यमुनानगर चेयरमैन, खर्च कमेटी की अनुमति से किया गया परन्तु डीलिंग होते हुए आप द्वारा उपरोक्त राशि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य मद पर खर्च की जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध था ।


इस प्रकार श्री पवन कुमार, लिपिक की उपरोक्त अनियमितता उनके गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा कर्मचारी की आचरण नियमावली, 2016 की धारा 4 की उल्लंघना की है तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


 (राजीव प्रसाद)

सयुक्त निदेशक प्रशासन
 का० निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला ।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in




अभियोग सूची विरुद्ध श्री पवन कुमार, लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर अब सचिवालय ।

श्री पवन कुमार, लिपिक का० जि०शि०अधि०, यमुनानगर ने जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर में बतौर लिपिक कार्यरत रहते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं :-

- यह कि राज्य में माडल संस्कृति/माडल स्कूल स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा संबंधित स्कूलों को राशि वितरित की थी उस राशि का आडिट उपरान्त सही प्रयोग न लाए जाने के कारण आडिट पार्टी द्वारा जो पैरे बनाए गए उनका निपटान न होने के कारण सी०ए०^{जी०} पैरा बनने उपरांत जांच हेतु निर्णय लिया गया तथा दिनांक 11.05.2017 को मामले की जांच की गई जिसमें पाया गया कि जिला यमुनानगर पर लगाए गए एतराज कि 0.12 करोड रू० की सारी राशि स्टेडियम के निर्माण में खर्च करने की बजाए खेलकूद सामग्री के क्रय पर खर्च कर दी जो कि स्वीकृति आदेशों के विरुद्ध था, बारे जि०शि०अधि० य०नगर द्वारा उपलब्ध कराए रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त जि०उपायुक्त, यमुनानगर द्वारा राजकीय माडल संस्कृति वरि०मा०वि० बिलासपुर का निरीक्षण किया गया जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा की गई मांग अनुसार विद्यालय की जरूरत के अनुसार 15,56,745/-रू० की राशि का सामान तत्कालीन जि०शि०अधि० द्वारा रा०माडल संस्कृति वरि०मा० वि० बिलासपुर को उपलब्ध करवाया गया । यद्यपि राशि का उपयोग अन्य मद में अतिरिक्त जिला उपायुक्त यमुनानगर चेयरमैन, खर्च कमेटी की अनुमति से किया गया परन्तु डीलिंग होते हुए आप द्वारा उपरोक्त राशि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य मद पर राशि खर्च की जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध था ।

इस प्रकार श्री पवन कुमार, लिपिक की उपरोक्त अनियमितता उनके गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होंने हरियाणा सिविल सेवा कर्मचारी की आचरण नियमावली, 2016 की धारा 4 की उल्लघना की है तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 की धारा-7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।



(राजीव प्रसाद)

सयुक्त निदेशक प्रशासन
 का० निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



EDUCATION DEPARTMENT
 शिक्षा विभाग, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 From Darkness lead me to Light

रिकार्ड एवं गवाह सूची-नियम-7 विरुद्ध श्री पवन कुमार, लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर
 अब सचिवालय ।

रिकार्ड सूची

1. श्री अनिल कुमार सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 11.05.17 को की गई जांच रिपोर्ट ।

गवाह सूची:-

1. संबंधित डीलिंग का० जिला शि० अधिकारी यमुनानगर ।
2. संबंधित डीलिंग सैकण्डरी शिक्षा का० निदेशक सैकण्डरी शि० हरियाणा ।

राजीव प्रसाद
 (राजीव प्रसाद)

संयुक्त निदेशक प्रशासन
 का० निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला ।

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

ORDER NO. 18/215-2018 PGT-III (9) DATED, PANCHKULA 11.07.2018

Smt. Kamini Rathi, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **11.07.2018 to 02.10.2018 (84 days)** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**LALIT SIWACH
ADDITIONAL DIRECTOR ADMN.
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12-7-18

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Gurugram w.r.t. his/her memo No. E-2/2018/771 dated 29.06.2018.
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram).
3. Smt. Kamini Rathi, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Bajghera (Gurugram).
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.

Amar Singh 12/7/18
**SUPERINTENDENT PGT-III
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**